समक्ष : अशोक शिवहरे
सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 1876/दो/2013 विरूद्व आदेश दिनांक 26.6.2011 – पारित – व्दारा – तहसीलदार, छतरपुर – प्रकरण कमांक 78/अ–12/10–11

काशीराम पुत्र कलुआ अहिरवार
ग्राम बगौता तहसील व जिला
छतरपुर मध्य प्रदेश ———आवेदक

विरूध्द

1– मध्य प्रदेश शासन
2– रमसिंगा पुत्र पल्टुआ अहिरवार
3– मंजुआ पुत्र ग्यासिया अहिरवार
4– उदयता उर्फ हीरालाल पुत्र ग्यासिया
5– नन्दे पुत्र बल्देवा अहिरवार
6– हल्काई पुत्र बल्देवा अहिरवार
7– मोहन पुत्र बल्देवा अहिरवार
8– मुलुवा पुत्र दुर्जना अहिरवार
सभी निवासी ग्राम बनौता
तहसील व जिला छतरपुर ——— अनावेदकगण

आवेदक के अभिभाषक श्री राजेन्द्र तिवारी

आदेश

(आज दिनांक 2–7 – 2014 को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, छतरपुर द्वारा प्रकरण कमांक 78/अ-12/2010–11 में पारित आदेश दिनांक 26–6–11 के विरूद्व म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ निगरानी मेमो में वर्णित तथ्यानुसार अनावेदकगण ने आवेदक का फर्जी

निशानी अॅगूठा लगाकर तहसीलदार धुवारा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अनावेदक गण की ओर से मांग आवेदक के स्वत्व एंव स्वामित्व की ग्राम वगौता स्थित भूमि सर्वे कमांक 2318 रकबा 0.825 , 2320 रकबा 0.190, 2326 रकबा 1.011, 2338/1 रकबा 0.397, 2342 रकबा 0.134, 2343/1 रकबा 0.243, 2344 रकबा 0.364 हैक्टर (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि सम्बोधित किया गया है) का नक्शा तरमीम किया जावे। तहसीलदार धुवारा ने राजस्व निरीक्षक मंडल छतरपुर को तदाशय के निर्देश प्रदान किये। राजस्व निरीक्षक छतरपुर ने वादग्रस्त भूमि के सीमांकन अनुसार नक्शा में पेन्सिल से सीमायें अंकित कर अक्स आदि तैयार किया तथा पत्र दिनांक 20.6.11 से तहसीलदार धुवारा को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। तहसीलदार धुवारा ने इस पर आदेश दिनांक 26.6.11 पारित किया तथा नक्शा तरमीम करना स्वीकार किया। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में आवेदक के अभिभाषक के तर्क श्रवण किये, तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ यह निगरानी तहसीलदार छतरपुर के आदेश दिनांक 26.6.11 के विरूद्व इस न्यायालय में दिनांक 4–5–13 को अर्थात आदेश पारित होने के लगभग एक वर्ष दस माह वाद प्रस्तुत की गई है । प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त करने में लगभग 03 दिन का समय लगा है अर्थात निगरानी अवधि–वाह्य है किन्तु निगरानीकर्ता के अनुसार तहसीलदार को उसके व्दारा नक्शा तरमीम का कोई आवेदन नहीं दिया गया है अपितु उसके फर्जी निशानी अगूॅठा लगाकर आवेदन दिया गया है । आवेदक के अभिभाषक के तर्कानुसार आवेदक न तो सीमाचिन्ह निर्धारण के समय उपस्थित रहा है और न ही उसे व्यक्तिगत सूचना देकर बुलाया गया है। फर्जी निशानी अॅगूठा लगाया जाकर कार्यवाहीकी गई है । फर्जी निशानी अॅगूठा वावत् आरोप गंभीर विषय है जो जांच योग्य

है किन्तु विचाराधीन निगरानी प्रस्तुत करने में हुआ विलम्ब क्षमा योग्य है अथवा नहीं ? यह विचार का बिन्दु है, जब आवेदक स्वयं को सीमाज्ञान कब हुआ एंव किसके व्दारा नक्शा तरमीम का आवेदन दिया, अनभिज्ञता व्यक्त कर रहा है जिसके कारण आवेदक के अभिभाषक व्दारा निगरानी विलम्ब से प्रस्तुत करने वावत् की गई प्रार्थना सदभाविक पाये जाने से विलम्ब क्षमा योग्य है।

5/ विचाराधीन निगरानी में यह तथ्य विचारणीय है कि तहसीलदार व्दारा नक्शा तरमीम हेतु पारित आदेश के विरूद्व राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी पोषणीय है अथवा नहीं ?

1. म0प्र0भू राजस्व संहिता,1959 की धारा 70 – सर्वेक्षण संख्याकों को पुर्नकमांकित या उप विभाजित करने की शक्ति – टिप्पणी (आ) – बंदोवस्त अधिकारी की शक्तियॉ प्रदत्त – बंदोवस्त अवधि के भीतर इस धारा के अधीन बंदोबस्त अधिकारियों की शक्तियों का प्रयोग कलेक्टर कर सकेंगें तथा संहिता की धारा 90 की टिप्पणी (आ) (1) अनुसार कलेक्टर की ये शक्तियॉ तहसीलदारों को प्रदान की गई है। धारा 24 के अंतर्गत टिप्पणी इ (9) देखें।

उक्त से स्पष्ट है कि तहसीलदार ने संहिता की धारा 70 सहपठित 67 एंव 68 (आ) एंव धारा 24 की टिप्पणी ई (9) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर आदेश 26.6.11 पारित किया है जो अपील योग्य आदेश है और आवेदक के पास तहसीलदार के आदेश के विरूद्व अपील का उपचार प्राप्त है। आवेदक इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर 30 दिवस के भीतर सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र है।

4/ उपरोक्त कारणों से निगरानी अप्रचलयोग्य पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा करें।

(अशोक शिवहरे)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर